न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 86/2020
निर्णय दिनांक : 14.07.2021

1. प्रलाद उर्फ प्रहलाद पुत्र नाथू, जाति रैगर, निवासी रैगरो का मौहल्ला, ग्राम चतरपुरा, पोस्ट दांतली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

——प्रार्थी

–:बनाम:–

1. अशोक पुत्र भागीरथ
2. कालूराम पुत्र भागीरथ
3. नैनादेवी पुत्री भागीरथ
4. महेन्द्र पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त बहिन नैनादेवी
5. राजेन्द्र पुत्र भागीरथ नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त बहिन नैनादेवी
6. नवलकिशोर पुत्र बालू उर्फ बाबूलाल
7. मंगलाराम पुत्र बालू उर्फ बाबूलाल
8. रामनारायण पुत्र बालू उर्फ बाबूलाल
9. रामेश्वर पुत्र बालू उर्फ बाबूलाल
10. मोतीदेवी पत्नि मोहन
11. प्रकाशचन्द पुत्र मोहन
12. शंकरलाल पुत्र मोहन
13. श्रवणलाल पुत्र मोहन
14. सत्यनारायण पुत्र मोहन
15. राजू पुत्र काना
16. रामप्रसाद पुत्र काना
17. डालू पुत्र काल्या

    समस्त जाति रैगर, निवासीगण ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
18. जनकदेवी पत्नि रामफूल
19. कालूराम पुत्र रामफूल
20. जगदीशनारायण पुत्र किशन
21. प्रभू पुत्र जमन्या
22. नारायण पुत्र जमन्या (फौत) के वारिसानः–
    - 22/1. भौंरीलाल पुत्र स्व0 नारायण
    - 22/2. नरसी पुत्र स्व0 नारायण
    - 22/3. कालू पुत्र स्व0 नारायण
    - 22/4. काना पुत्र स्व0 नारायण
    - 22/5. श्रीमती शंकरीदेवी पत्नि स्व0 नारायण

    समस्त जाति रैगर, निवासीगण ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
23. छोटूराम पुत्र बिरदा
24. मोहनलाल पुत्र बिरदा
25. लल्लूलाल पुत्र बिरदा

    समस्त जाति रैगर, निवासीगण ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् पत्थरगढी करवाने जाने।

निर्णय

दिनांक

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण राजस्व ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का दांतली, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सीमा में आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 52 पुराना 51 के अर्न्तगत उक्त खसरान् की भूमि की एकल खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज एंव अंकित है। जिस पर प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का दांतली, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सीमा में आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 0.15 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 86 पुराना 89 के अर्न्तगत उक्त खसरा की भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 व एक अन्य व्यक्ति बिरदा पुत्र काल्या नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त नैनादेवी के नाम से दर्ज एंव अंकित है। बिरदा पुत्र काल्या नामक कोई व्यक्ति ग्राम चतरपुरा में नहीं है, इसलिये बिरदा पुत्र काल्या को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। उक्त खसरा नम्बर 136 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 135 के दक्षिणी सीमा से लगती हुई पड़ौस में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा आराजी खसरा नम्बर 135 की दक्षिणी सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहता है इसलिये उक्त वर्णित पड़ौसी खसरा नम्बर 136 के खातेदारों को इस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि राजस्व ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का दांतली, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सीमा में आराजी खसरा नम्बर 132 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.29 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 47 पुराना 47 के अर्न्तगत उक्त खसरान् की भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 25 के नाम से दर्ज एंव अंकित है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 132 प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 134 के दक्षिणी सीमा से तथा खसरा नम्बर 133 की आराजी प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 134 के पश्चिमी सीमा से लगती हुई पड़ौस में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा आराजी खसरा नम्बर 134 के पश्चिमी सीमा व दक्षिणी सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहता है इसलिये उक्त वर्णित पड़ौसी खसरान् के खातेदारों को इस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 25 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि श्रीमान् तहसीलदार सांगानेर के पत्र क्रमांक 2614 दिनांक 15–09–2020 एंव भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दिनांक 17–09–2020 की अनुपालना में ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 134 व 135 के मौके पर मय ई.टी.एस. मशीन द्वारा चिन्हींकरण किया गया जिसमें मौके पर राजस्व विभाग द्वारा गठित टीम में श्री ज्ञानप्रकाश हल्का गिरदावर व हल्का पटवारी श्री प्रेमप्रकाश गुर्जर मय नक्शे तथा रिकार्ड के उपस्थित हुए थे। गठित संयुक्त टीम ने मौके पर खसरा नम्बर 134 व 135 का ई.टी.एस. मशीन द्वारा आवेदक, पड़ौसी खातेदार व अन्य ग्रामीणो की मौजूदगी में चिन्हीकरण का कार्य किया गया तथा मौके पर मौजूद व्यक्तियो को मौका चिन्हीकरण रिपोर्ट पढकर सुनाई गई तथा हस्ताक्षर करवाये गये। सुपर इम्पोज नक्शा तैयार किया गया। इस प्रकार प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 134 व 135 का सीमाज्ञान किया जा चुका है परन्तु उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी नहीं की गई थी इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत् खसरा नम्बर 134 व 135 की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाने हेतु पेश किया जा रहा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि उक्त सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा आराजी खसरा नम्बर 134 व 135 की भूमि का काफी अंश अप्रार्थीगण की खातेदारी की खसरा नम्बर 133, 132 व 136 में दबा हुआ है। खसरा नम्बर 133, 132 व 136 के खातेदारान् ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 134 व 135 के काफी भाग पर अतिक्रमण व नाजायज कब्जा कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की उक्त आराजीयात् की चारो सीमाओ पर पत्थरगढी किया जाकर प्रार्थी की भूमि को महफूज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 133, 132 व 136 पर प्लाटिंग करके दीगरान् को विक्रय–हस्तान्तरण एंव खुर्दबुर्द करने पर आमादा है जबकि उक्त सीमाज्ञान के अनुसार खसरा नम्बर 133, 132 व 136 की भूमि में प्रार्थी की काफी जमीन दबी हुई है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 134 व 135 की वास्तविक सीमाओ पर पत्थरगढी करने से पूर्व अप्रार्थीगण अपने कुत्सित उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी के विधिक एंव खातेदारी अधिकारो का हनन होगा, वाद बाहुलता होगी, न्याय व न्यायालय पर अतिरिक्त भार बढेगा, अनेको कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न हो जायेगी, प्रार्थी को अनेको विचारण का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका द्रव्य में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। उक्त परिस्थितियो में प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 134 की पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 133 की तरफ व दक्षिणी सीमा खसरा नम्बर 132 की तरफ तथा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 135 की दक्षिणी सीमा खसरा नम्बर 136 की तरफ उपरोक्त वर्णित सीमाज्ञान के अनुसरण में पत्थरगढी किया जाकर प्रार्थी की आराजी को महफूज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि दिनांक 24–09–2020 को अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 132, 133 व 136 की भूमि पर कुछ भू–माफिया गिरोह के लोगो लाकर जरीब से नाप–जौख करते हुए प्लाटिंग करने के आशय से चिन्हीकरण करने लग गये, जिसका प्रार्थी ने विरोध किया और अप्रार्थीगण को बताया कि खसरा नम्बर 132, 133 व 136 की भूमि में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 134 व 135 की भूमि दबी हुई है, पत्थरगढी करवाये बिना आप लोगों को प्लाटिंग अथवा अन्य किसी भी प्रकार से भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। इस पर अप्रार्थीगण आग बबूला हो गये और प्रार्थी को कहा कि तुम हमें कानून सिखाने एंव कानून बताने वाले कौन होते हो। हम हमारी मर्जी अनुसार खसरा नम्बर 132, 133 व 136 में प्लाटिंग करेगें, विक्रय–हस्तान्तरण करेगें, पट्टे प्राप्त करेगें, भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग करेगें, भूमि को खुर्दबुर्द करेगें, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी बैजा गैरकानूनी हरकतो से बाज नहीं आ रहें है। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। उक्त तथ्यो को वादहेतुक बताते हुए अनुतोष चाहा गया कि तहसीलदार सांगानेर के पत्र क्रमांक 2614 दिनांक 15–09–2020 एंव भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दिनांक 17–09–2020 की अनुपालना में राजस्व विभाग द्वारा गठित टीम द्वारा ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 134 व 135 के सीमाज्ञान के अनुसरण में खसरा नम्बर 136 की भूमि जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 135 के दक्षिणी सीमा से लगती हुई पड़ौस में स्थित है तथा खसरा नम्बर 132 जो कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 134 के दक्षिणी सीमा से तथा खसरा नम्बर 133 जो कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 134 के पश्चिमी सीमा से लगती हुई पड़ौस में स्थित है, की सीमाओ पर पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, सांगानेर को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 17.02.2021 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 की ओर से लक्ष्मीनारायण चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 18 लगायत 36 की रजिस्ट ऐडी नोटिस जारी होने पर कोई उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी स[illegible]गायत 36 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। [illegible] 12.03.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 का जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 17 ने विशेष विवरण के साथ प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 111 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा करने के लिए प्रकरण में यह आवश्यक है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] द्वितीय (साँगानेर)

मिन अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 136 का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी साथ ही करवाई जावें, जिससे प्रकरण का निस्तारण न्यायपूर्ण हो सके।

वकील उभयपक्षकारान की बहस दिनांक 25.03.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 पर सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 17 की ओर से बताया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 134 एवं 135 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करते समय यदि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 136 व 137 का सीमाज्ञान व पत्थरढी भी कर दी जाती है तो विवाद का निस्तारण सही तरीके से हो सकता है जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रकट की। बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर तथा पक्षकारान को सूचित कर एवं पुलिस इसमदाद के साथ राजस्व ग्राम चतरपुरा, पटवार हल्का दांतली, भू0अ0 निरीक्षक क्षैत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण की भूमि खसरा 136 व 137 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करे।

निर्णय आज दिनांक **14.07.2021** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.7.21

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:17 IST
Reason: SelfAttested